बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
संकल्प

श्री आदित्य राजहंस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर, सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, कटिहार के विरूद्ध श्री सत्यनारायण मिश्रा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर कॉंग्रेस, भागलपुर का एक परिवाद पत्र दिनांक–05.07.2014 विभाग को प्राप्त हुआ जिसमें आई०टी०सी० कम्पनी, मुंगेर के प्रबंधन से नाजायज साठ–गाठ कर उनके इंडिका कार का गलत उपयोग करने के लिए कार्रवाई करने तथा दिनांक–04.07.2014 को दुर्घटना हो जाने के बाद चालक के मृत्योपरांत क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का अनुरोध किया गया है। उक्त परिवाद पत्र की प्रारम्भिक जाँच उप श्रमायुक्त, भागलपुर से कराई गई जिन्होंने श्री राजहंस के द्वारा उप श्रमायुक्त, भागलपुर तथा उप श्रमायुक्त, बेगूसराय, (जहाँ प्रतिकर की राशि के भुगतान के लिए सुनवाई चल रही थी) को समर्पित स्पष्टीकरण तथा मृत चालक स्व० रविन्द्र कुमार यादव की विधवा अर्चना देवी के बयान के आलोक में अपने जाँच प्रतिवेदन में परिवादी द्वारा लगाये गए आरोप को "सत्य से परे नहीं है" का मंतव्य दिया गया। तद्पोरांत विभागीय पत्रांक–523 दिनांक–27.02.2015 द्वारा परिवादी श्री सत्यनारायण मिश्रा के परिवाद पत्र तथा उप श्रमायुक्त, भागलपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति श्री आदित्य राजहंस को उपलब्ध कराते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री राजहंस ने अपने स्पष्टीकरण दिनांक–09.03.2015 यह उल्लेख किया कि दिनांक–04.07.2014 को उनके द्वारा उपयोग की गई इंडिका कार भाड़े की थी न कि आई०टी०सी० कम्पनी, मुंगेर की, अतः आई०टी०सी०, मुंगेर से नजायज सांठ गांठ करने एवं उनके इंडिका कार का गलत कार्य में उपयोग संबंधी आरोप निराधार है। श्री राजहंस के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में विभागीय पत्रांक–984 दिनांक–06.04.2015 द्वारा आई०टी०सी० कम्पनी, मुंगेर से गाड़ी संख्या–BR08 B-2172 के संबंध में सूचना की मांग की गई। आई०टी०सी० कम्पनी, मुंगेर द्वारा यह सूचना उपलब्ध कराई गई कि उक्त कार आई०टी०सी० कम्पनी, मुंगेर को मो० हसीब खान नामक ट्रेवल सर्विस प्रोवाईडर द्वारा एकरारनामा के आधार पर उपलब्ध कराया गया था और कम्पनी द्वारा एकरारनामा के अनुसार उक्त सेवा के लिए श्री खान को मासिक रकम का भुगतान किया जाता था। विभागीय पत्रांक–2519 दिनांक–02.09.2015 द्वारा श्रमायुक्त, बिहार से श्री राजहंस के स्पष्टीकरण पर मंतव्य की मांग की गई। श्रमायुक्त, बिहार के पत्रांक–3259 दिनांक–09.10.2015 द्वारा सम्पूर्ण घटनाक्रम का विश्लेषण करते हुए का यह मंतव्य अंकित किया गया कि श्री राजहंस के विरूद्ध आई०टी०सी० कम्पनी, मुंगेर के प्रबंधन से नाजायज सांठ–गांठ कर उनके इंडिका कार का गलत उपयोग किये जाने संबंधी आरोप पूर्ण रूप से प्रमाणित होता है। श्रमायुक्त, बिहार के मंतव्य की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत श्री राजहंस की स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने हेतु श्रमायुक्त, बिहार से प्रपत्र 'क' की मांग की गई। श्रमायुक्त, बिहार के पत्रांक–124 दिनांक–13.01.2016 द्वारा श्री आदित्य राजहंस के विरूद्ध दो आरोप प्रतिवेदित किये गए उनका ब्योरा निम्नवत है:–

(i) **सत्यनिष्ठा का अभाव**– पटना मुख्यालय में विभागीय कार्यो की समीक्षात्मगक बैठक में भाग लेने के उपरान्त दिनांक–04.07.2014 को मुंगेर वापस लौटने के क्रम में इंडिका कार संख्या–BRO8B-2172 दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कार चालक की मौत दुर्घटना स्थल पर हो गई थी। उक्त के संबंध में उप श्रमायुक्त, बेगूसराय/भागलपुर के पत्रांक–1188 दिनांक–25.09.2014 द्वारा श्री आदित्य राजहंस से पूछे गये स्पष्टीकरण में उनके द्वारा उप श्रमायुक्त, बेगूसराय/भागलपुर को पत्रांक–824 दिनांक–11.10.2014 के द्वारा सूचित किया गया है कि भाड़े की कार संख्या–BRO8B-2172 से लखीसराय से

मुंगेर तक की यात्रा कर रहा था और उक्त कार के स्वामित्व के संबंध में उनके द्वारा अनभिज्ञता प्रकट की गई है, जो उनके सत्यनिष्ठा का अभाव का द्योतक है।

(ii) **कदाचार में संलिप्तता**– उक्त कार आई०टी०सी० कम्पनी, मुंगेर को मो० हसीब खान नामक ट्रेवल सर्विस प्रोभाईडर के द्वारा एकरारनामा के आधार पर उपलब्ध कराया गया था और कम्पनी द्वारा एकरारनामा अनुसार उक्त सेवा के लिए श्री खान को मासिक रकम का भुगतान किया जाता था। दिनांक–07.08.2015 को विभागीय सचिव को प्रेषित मृत कार चालक की पत्नी–मो० अर्चना देवी के पत्र में श्री आदित्य राजहंस के विरूद्ध अन्य शिकायत के साथ यह ही सूचित किया गया है कि उनके द्वारा सप्ताह में तीन दिन आई०टी०सी० कम्पनी, मुंगेर के वाहन की सेवा ली जाती थी। स्पष्ट है कि आई०टी०सी० कम्पनी, मुंगेर के उक्त कार को सार्वजनिक भाड़ा पर नहीं चलाया जाता था। इसके संबंध में उनके द्वारा अपने उच्च पदाधिकारी को गलत सूचना प्रदान की गई है। वर्णित आरोपों से परिलक्षित होता है कि श्री आदित्य राजहंस के द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए अपने क्षेत्राधिकार स्थित प्रबंधन संस्थानों से अपने हित लाभ के लिए भयादोहन किया गया है, जो एक सरकारी कर्मचारी के आचरण के प्रतिकूल एवं कदाचार में संलिप्तता का द्योतक है।

2. श्रमायुक्त, बिहार से प्राप्त प्रपत्र 'क' के आलोक में सक्षम प्राधिकार के आदेश से विभागीय संकल्प ज्ञापांक–797 दिनांक–11.03.2016 –सह– पठित संकल्प ज्ञापांक–2016 दिनाांक–07.08.2017 द्वारा श्री आदित्य राजहंस के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–41 दिनांक–09.11.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसमें श्री आदित्य राजहंस के विरूद्ध दोनों आरोपों को प्रमाणित होने का मंतव्य अंकित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–3399 दिनांक–28.11.2017 द्वारा श्री आदित्य राजहंस से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। कार्यालय, सहायक श्रमायुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, कटिहार के पत्रांक–933 दिनांक–07.12.2017 –सह– स्मार पत्रांक–252 दिनांक–26.03.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में दिये गए बचाव बयान में श्री आदित्य राजहंस ने आरोपवार उत्तर न देकर विभागीय कार्यवाही से संबंधित तकनीकी बिन्दुओं एवं कुछ अन्य प्रश्नों को उठाते हुए इसे अमान्य होने पर कतिपय अभिलेखों की मांग की। विभागीय पत्रांक–1339 दिनांक–11.06.2018 द्वारा श्री आदित्य राजहंस द्वारा वर्णित तथ्यों को अस्वीकृत करते हुए उनके द्वारा मांगे गए वांछित अभिलेख उपलब्ध कराते हुये उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई।

3. कार्यालय, सहायक श्रमायुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, कटिहार के पत्रांक–581 दिनांक–05.07.2018 द्वारा श्री आदित्य राजहंस के द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर प्राप्त हुआ। अपने द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में श्री आदित्य राजहंस ने उल्लेख किया कि उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(4) एवं 17(5) के आलोक में प्रपत्र 'क' संलग्न कर स्पष्टीकरण नहीं पूछा गया है, अतः उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है। श्री आदित्य राजहंस उल्लेख ने उल्लेख किया कि उनके मामले में प्रारम्भिक जाँचकर्त्ता डॉ० बीरेन्द्र कुमार ने परिवादी सत्यनारायण मिश्रा के परिवाद पत्र की संपुष्टि नहीं करा कर मुख्य सचिव के पत्रांक–945 दिनांक–24.06.2005 में निहित दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया जबकि मुख्य सचिव के उक्त पत्र का लाभ प्रारम्भिक जाँच पदाधिकारी डॉ० बीरेन्द्र कुमार, उप श्रमायुक्त, भागलपुर द्वारा दर्जनों मामलों में स्वयं लिया गया। साथ ही उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा डॉ० बीरेन्द्र कुमार को इस बिन्दु पर जाँच हेतु बुलाये जाने के उनके अनुरोध को अकारण ही अस्वीकार कर दिया गया जो

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल है। श्री आदित्य राजहंस ने **आरोप संख्या–1** के संबंध में उल्लेख किया कि यह गलत साक्ष्यों पर आधारित है तथा उनके द्वारा उप श्रमायुक्त, भागलपुर को प्रेषित पत्र संख्या–823 दिनांक–11.10.2014 एवं उप श्रमायुक्त, बेगूसराय को प्रेषित पत्रांक–824 दिनांक–11.10.2014 को गलत ढंग से उपयोग में लाया गया। श्री आदित्य राजहंस ने **आरोप संख्या–2** के संबंध में उल्लेख किया कि इससे संबंधित सारे साक्ष्य विरोधाभाषी हैं। तथ्य के रूप में वे बताते है कि "विभागीय कार्यवाही के दौरान प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी ने अपने पत्र दिनांक–11.11.2016 द्वारा सूचना दी है कि प्रश्नगत इंडिका कार हसीब खान की है। दिनांक–04.07.2014 को दुर्घटना के दिन जो प्राथमिकी मृतक ड्राईवर के पुत्र श्री रंजन कुमार द्वारा सूर्यगढ़ा थाने में दर्ज कराई गई उसमें कहा कि प्रश्नगत इंडिका कार आदित्य राजहंस की है तथा उनके पिता गाडी के ड्राईवर थे। मृतक की पत्नी तथा आवेदिका अर्चना देवी ने अपने बयान में कहा है कि प्रश्नगत इंडिका कार आई०टी०सी०, मुंगेर की है। परन्तु रंजन कुमार एवं श्रीमती अर्चना देवी ने मोटर व्हेकिल एक्सिडेन्ट क्लेम ट्रिबुनल केश नं०–44/2014 में अपने बयान को बदलते हुए यह कहा है कि उक्त गाडी हसीब खान की है.। परन्तु दुर्घटनाग्रस्त गाडी के संबंध में मुंगेर के परिवहन पदाधिकारी का कहना है कि प्रश्नगत इंडिका कार श्री राजमणि सिंह, पे० त्रिपुरारी सिंह, जमालपुर की है।" उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर श्री आदित्य राजहंस उल्लेख करते है कि अर्चना देवी तथा उनके पुत्र रंजन कुमार ने लगातार अपना बयान बदला है तथा उनके कथन को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। श्री आदित्य राजहंस द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि विभागीय जाँच के क्रम में संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य अथवा गवाह का परीक्षण/प्रतिपरीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है।

4. श्री आदित्य राजहंस से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा की गई। विभागीय पत्रांक–523 दिनांक–27.02.2015 द्वारा परिवादी श्री सत्यनारायण मिश्रा के परिवाद पत्र तथा उप श्रमायुक्त, भागलपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति श्री आदित्य राजहंस को उपलब्ध कराते हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई। इस क्रम में श्री आदित्य राजहंस ने अपने स्पष्टीकरण दिनांक–09.03.2015 में यह उल्लेख किया है कि दिनांक–04.07.2014 को उनके द्वारा उपयोग की गई इंडिका कार भाडे की थी न कि आई०टी०सी०, मुंगेर की अतः आई०टी०सी०, कम्पनी मुंगेर से नाजायज साठ गाठ करने एवं उनके इंडिका कार का गलत कार्य में उपयोग करने संबंधी आरोप मिथ्या एवं निराधार है। इसके पश्चात विभागीय पत्रांक–984 दिनांक–06.04.2015 द्वारा प्रबंधक, मानव संसाधन आई०टी०सी० लिमिटेड, मुंगेर, बिहार से गाडी संख्या–BR08B-2172 से संबंधित सूचना की मांग की गई। उक्त के आलोक में प्रबंधक आई०टी०सी०, मुंगेर ने अपने पत्र दिनांक–13.05.2015 द्वारा यह सूचना दी कि:– It may please be noted that based on contract between the company and Mr. Hasib Khan, a travel service provider, the company avails his services. The said service provider provides his vehicles and drivers for Company's use based on its requirements.The Company pays monthly sum to the said service provider as per agreed rates, for the services so rendered. The selection of any vehicle and driver is at the discretion of the said service provider. तदोपरांत श्री आदित्य राजहंस के स्पष्टीकरण पर मांगे गए मंतव्य के आलोक में श्रमायुक्त, बिहार द्वारा अपने पत्रांक–3259 दिनांक–09.10.2015 द्वारा सम्पूर्ण घटना क्रम का विश्लेषण करते हुए यह मंतव्य दिया गया कि श्री आदित्य राजहंस के विरूद्ध आई०टी०सी०, कम्पनी, मुंगेर के प्रबंधक से नाजायज साठ–गाठ कर उनके इंडिका कार का गलत उपयोग किये जाने संबंधी आरोप पूर्णरूप से

प्रमाणित होता है। इसके पश्चात ही श्री आदित्य राजहंस के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। विभागीय कार्यवाही के दौरान भी आरोप संख्या—01 के संबंध में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य है कि संबंधित गाडी आई०टी०सी०, मुंगेर में मो० हसीब खाँ, संवेदक द्वारा निविदा के आधार पर दी गई थी, जो दिनांक—04.07.2014 को श्री आदित्य राजहंस द्वारा उपयोग में लाई गई एवं उक्त गाडी के दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात चालक की हुई मृत्यु के उपरांत हुये विवादों से बचने के लिए श्री आदित्य राजहंस द्वारा यह तर्क दिया गया कि गाडी किसकी है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। संचालन पदाधिकारी का मंतव्य बिल्कुल सही है कि गाडी के उपयोग करने वाले पदाधिकारी का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता कि गाडी किसकी है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। आरोप संख्या—02 में संचालन पदाधिकारी ने यह पाया है कि उनके द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए अपने क्षेत्राधिकार स्थित प्रबंधन संस्थाओं से अपने हित—लाभ के लिए भयादोहन किया गया है, जो एक सरकारी कर्मचारी के आचरण के प्रतिकूल एवं कदाचार में संलिप्तता का द्योतक है। इस संबंध में श्री आदित्य राजहंस की द्वितीय कारणपृच्छा का उत्तर संतोषजनक नहीं है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन के संबंध में प्रबंध आई०टी०सी० लिमिटेड, मुंगेर द्वारा यह स्पष्ट सूचना दी गई है कि उक्त वाहन आई०टी०सी०, कम्पनी, मुंगेर को मो० हसीब खाँ नामक ट्रेवल सर्विस प्रोवाईडर द्वारा एकरारनामा के आधार पर उपलब्ध कराया गया था और कम्पनी द्वारा एकरारनामा के अनुसार उक्त सेवा के लिए श्री खाँ को मासिक रकम का भुगतान किया जाता था। श्री आदित्य राजहंस मात्र इस विभागीय कार्यवाही को टालना चाहते हैं। इस प्रकार सक्षम प्राधिकार द्वारा आरोपों की गम्भीरता एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये जाने के आलोक में श्री आदित्य राजहंस के विरूद्ध दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने की सजा देने का निर्णय लिया गया है।

5. अतएव श्री आदित्य राजहंस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर, सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, कटिहार के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित नियमावली, 2007 के नियम 14 (vi) के तहत वृहत दण्ड दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोपित पदाधिकारी श्री आदित्य राजहंस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर, सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, कटिहार को निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से आरोप पत्र साक्ष्य सहित प्राप्त करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—
(सुधा रानी)
विशेष कार्य पदाधिकारी
पटना, दिनांक—

ज्ञापांकः— 6/श्रम वि० आ०(02)—40/2014 श्र०सं०—

प्रतिलिपिः— प्रभारी पदाधिकारी, ई. बजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध कराये।

ह०/—
विशेष कार्य पदाधिकारी

sankalp78

ज्ञापांकः– 6 / श्रम वि० आ०(02)–40 / 2014 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः– 6 / श्रम वि० आ०(02)–40 / 2014 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, मुंगेर / जिला पदाधिकारी, कटिहार / कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर / कोषागार पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

नेबंधित / स्पीड

ज्ञापांकः– 6 / श्रम वि० आ०(02)–40 / 2014 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपिः– श्री आदित्य राजहंस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर, सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः– 6 / श्रम वि० आ०(02)–40 / 2014 श्र०सं०– 2628 पटना, दिनांक–19/11/2018
प्रतिलिपिः– श्रमायुक्त, बिहार, पटना / विशेष सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / सभी विशेष कार्य पदाधिकारी / लोक सूचना पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी–01 (सरकार पक्ष) / आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rani 16.11.18
विशेष कार्य पदाधिकारी